HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16146/2026
CNR: RJHC020986602026 | URN: CRLMB / 29893U / 2026

Monu Alias Mjp Shooter S/o Shishpal, Aged About 22 Years, R/o Samshan Ghat Ke Piche Kailash Nagar, Rewari Road Narnaul, Thana Narnaul City, District Mahendragarh Haryana. (At Present Confined In District Jail Khairthal-Tijara).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vivek Yadav Ms. Swadha Bhargava Mr. Ajay Choudhary
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

29/10/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना कोटकासिम, जिला खैरथल–तिजारा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 268/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 189(2), 115(2), 126(2), 109(1) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/25 आयुध अधिनियम में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम अंकित नहीं है तथा जिस सहअभियुक्त नरेन्द्र का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है और जिसके द्वारा आहत मंजीत पर कट्टे से फायर करना बताया गया है, उसे समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। आहत मंजीत और परिवादी ने सहअभियुक्त नरेन्द्र के साथ राजीनामा कर लिया है तथा प्रार्थी का मामला नरेन्द्र से बेहतर है। प्रार्थी पर गोली चलाने का कोई आक्षेप नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त

दिनांक 31.07.2026 से अभिरक्षा में है तथा उसके विरूद्ध पूर्व के जो तीन आपराधिक प्रकरण संस्थित होना बताये गये हैं, उनमें से एक में वह दोषमुक्त हो चुका है। प्रकरण में आरोपपत्र किता किया जा चुका है तथा अन्वेषण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत के साथ मारपीट की है तथा उसके पैर पर कट्टे से फायर किया है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम अंकित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जिस सहअभियुक्त नरेन्द्र द्वारा आहत मंजीत के साथ मारपीट कर पैर में फायर करना बताया गया है, उसे इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी पर गोली चलाने का कोई आक्षेप नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 31.07.2026 से अभिरक्षा में है तथा उसके विरूद्ध पूर्व के जो तीन आपराधिक प्रकरण संस्थित होना बताये गये हैं, उनमें से एक में उसे दोषमुक्त किया जा चुका है। प्रकरण में आरोपपत्र किता किया जा चुका है तथा अन्वेषण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J

56/VISHAL SHARMA